बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

–: अधिसूचना :–

संचिका सं०–08/विविध–13(निगम)–03/2026– 6424 पटना/दिनांकः– 05.11.2026

राज्य में सतत जल–प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, तकनीकी परामर्श, निवेश संवर्धन एवं दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत कंपनी अधिनियम–2013 के तहत विभागीय संकल्प सं०–5605 दिनांक–24.09.2026 द्वारा "बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड" के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संकल्प में निहित प्रावधानों के आलोक में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष होगें।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०–19328 दिनांक–21.10.2026 द्वारा श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0 (2010) सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्रबंध निदेशक, बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में निगम के गठन निमित कम से कम 7 पृथक अभिदाताओं की वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा निगम के अध्यक्ष को निर्धारित शेयरों में से 10 शेयर मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को अंतरित किया जाता है। फलस्वरूप निगम के अध्यक्ष के नाम 11,990 शेयर अभिदान हेतु निर्धारित होंगे।

05/11/26

(कुमुद रंजन),
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांकः–08/विविध–13 (निगम)–03/2026 ..... 6424 ...../पटना, दिनांक– 05.11.2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, प्रभारी आई० टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग,पटना [Common integrated website (www-state-bihar-gov-in)], पर प्रकाशित करने/ कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (वित्त विभाग को सी० डी०के साथ उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/11/26

संयुक्त सचिव (प्र०)